

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जाने से।
किसी अन्य प्राप्तिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यादि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संदेश हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(फोर्मलिय)

2442462 (जिवाजी)

फैक्स : (0091-0751-2341768

E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com

Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्धता/2011/1073

दिनांक : २१-११-११

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपालिका की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के विरायाकुसार जे.एम. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, श्योपुर को सत्र 2009-10 एवं सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बन्धता विभान शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्त/प्रतिबंध :-

- उच्च शिक्षा की अनुमति नहीं है परन्तु वर्ष 2009-10 के लिए मानवीय व्यायालय से परीक्षा फार्म जमा कराने के स्पष्ट आदेश हैं।
- महाविद्यालय अथवा समिति के नाम भूमि अथवा भवन नहीं है परन्तु भूमि का मालिकाना हक संचिव के नाम से है।
- महाविद्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा है।
- एन.सी.टी.ई. की माप के हिसाब से कमरे नहीं हैं।
- 28(17) का पालन किया जायें।
- मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं प्रयोग पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं हैं वह क्रय किए जायें।
- पुस्तकों के 1000 टाइटल होना चाहिए अभी पुस्तकों की संख्या 3035 है। एन.सी.टी.ई. के अनुसार पूर्ति की जाये।
- सत्र 2009-10 की परीक्षाएँ सम्पन्न की जा चुकी हैं। छत्रहित में अस्थायी मान्यता दिया जाना उचित होगा तथा 2011-12 के लिए तीव्र माह के अन्दर पुल: विरीक्षण कराया जाये।

आदेशाकासार
Jiwaji
कुलसंचिव

प्रति,

- प्राचार्य, जे.एम. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, श्योपुर
- संचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला विल्स, शोपाल
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, अतुड़ा भवन, शोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसंचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

R.P.
सहा.-कुलसंचिव (सम्बन्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय से नाम दो ही फॉर्म जारे जा
कि किसी अन्य व्याखिकारी के नाम नहीं।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार कुछ ही ले पत्र क्रमांक पर दिनांक
अवश्य लिखा हो जाए तिससे सुधिष्ठित हो।



दाता : शूलीकर्ता
ट्रॉफ़ी : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 453/

दिनांक: 09/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जे.एन. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, श्योपुर (07530-222910) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संबंधित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अन्यायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारें प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेद्यम 27(10) के अन्वर्गत विवादानुसार विरीक्षण समिति का उठान किया है :-

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक)

(0751-2442603)


(2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालीन विकास परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकर्ता एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेद्यम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक ट्रॉफ़े, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, कीड़ा परिवार एवं पाठ्यक्रम/आडिलेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ण मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक ट्रॉफ़े की विवृक्षियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण कराएं। समिति संयोजक से लिखेदेव है कि वे उक्त विधिवित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गव्ह का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देखी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जाएगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वयं बिरुद्ध हो जाएगी और पुनः विरीक्षण समिति गव्ह हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् दी विरीक्षण समिति का पुरुषग्रन्थ किया जायेगा। परिवेद्यम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिबा छात्रों को प्रदेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अखंत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगाह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधिवित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अंदर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप स्थानक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही दिया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार कुमा हो तो पत्र ब्रांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाये जिससे समिया हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/५९७९

दिनांक: ०१.०६.१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने सम्बद्ध जे.एम. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, आयपास रोड, रेल्वे क्रासिंग के पास, श्योपुर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संवालित बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों विषयों की अत्याधी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपते अधोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अनुरूप निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आवार्य, मनाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442633)
- (2) प्रो. आई.के. पात्रा, आवार्य, न्यूरो साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्याकुलाता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के लदस्यों से अनुरूप है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावश्यकों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुक्र, धरेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशेषणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिजेन्स तथा पिछले सत्र में भी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशेषणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के दारों में साथ विवरण/अनुबंधानों अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् के विर्णानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जावे हैं। इन समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्राहकीयालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने मठ नियालयों का निरीक्षण विधायित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के विघट्ण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एम गाह तक संयोजक से सम्पर्क बही करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति द्वारा सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बन्धित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप में जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता नामांकनी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार बही किया जा सकेगा। वा ही ग्राहकीयालयों के लिए पुरुष समितियों के लिए सम्पर्क सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जार्ये तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ १८ अवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय वा की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय वा निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण १५ दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के ग्रेजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)